



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 30, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. सर्वोच्च न्यायालय ने भूतलक्षी पर्यावरण स्वीकृतियों को सीमित किया	2
2. प्रस्तावित अमेरिकी प्रतिबंध अधिनियम और रूसी ऊर्जा खरीदारों पर शुल्क	4
3. बीएस-III (BS-III) वाहनों को E20 ईंधन के लिए मामूली बदलाव की आवश्यकता हो सकती है: केंद्र.....	5
4. सीएक्यूएम (CAQM) ने राज्यों को पराली जलाने की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात करने का निर्देश दिया	7
5. सीडब्ल्यूआरसी (CWRC) प्रमुख ने कावेरी जल के लिए एक स्थायी संकट-साझाकरण (Distress-Sharing) योजना का प्रस्ताव रखा.....	8
6. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026	10
7. आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 193 और गिग वर्कर्स पर भारत का रुख	11
8. चीन की ओपन-वेट एआई (Open-Weight AI) रणनीति: भू-राजनीति और कंप्यूट बाधाएं	13
9. आईएसीएस (IACS) और आधुनिक भारतीय विज्ञान का निर्माण	15
10. एफआईआर (FIR) वापसी पर केंद्र का आश्वासन वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं कर सकता	16
11. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026.....	18
12. E20 ईंधन विवाद के बीच समानांतर E10 और शुद्ध पेट्रोल आपूर्ति की मांग	20

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

1. सर्वोच्च न्यायालय ने भूतलक्षी पर्यावरण स्वीकृतियों को सीमित किया

मुख्य बिंदु और सारांश

- **कार्यकारी आदेश को रद्द करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) को रद्द कर दिया, जिसने कार्योत्तर (भूतलक्षी) पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्रदान करने के लिए एक स्थायी तंत्र की अनुमति दी थी।
- **भविष्यलक्षी निर्णय (Prospective Overruling):** सार्वजनिक खजाने के निवेशों (जैसे एम्स, हवाई अड्डे) की सुरक्षा करने और तत्काल बुनियादी ढांचे के व्यवधानों को रोकने के लिए, यह निर्णय भविष्यलक्षी रूप से लागू होता है; मौजूदा स्वीकृत परियोजनाएं सुरक्षित रहेंगी।
- **प्रशासनिक बनाम वैधानिक शक्ति:** पीठ ने फैसला सुनाया कि कार्यकारी निर्देश 'ईआईए अधिसूचना, 2006' जैसे अधीनस्थ विधान में परिवर्तन या उसका स्थान नहीं ले सकते।

- **उचित मार्ग से क्षमादान:** केंद्र सरकार के पास "अतिव्यापी जनहित" में असाधारण परियोजनाओं के लिए कार्योत्तर पर्यावरण स्वीकृति (EC) देने की शक्ति बनी रहेगी, लेकिन यह प्रशासनिक आदेशों के बजाय ईपीए (EPA), 1986 की धारा 3 के तहत वैध वैधानिक अधिसूचनाओं के माध्यम से ही की जा सकती है।
- **स्थायी क्षमादान की अस्वीकृति:** अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि क्षमादान के उपाय अवधि में सीमित, संकीर्ण रूप से तैयार और योग्य परियोजनाओं के विशिष्ट वर्गों तक सीमित होने चाहिए, न कि एक स्थायी समानांतर व्यवस्था के रूप में कार्य करने वाले।
- **पूर्ण शक्तियों की सुरक्षा:** यह फैसला पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मामलों में कार्योत्तर राहत प्रदान करने की सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित संवैधानिक शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमित नहीं करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **कार्योत्तर पर्यावरण स्वीकृति (Ex-Post Facto Environmental Clearance):** पूर्व में पर्यावरणीय अनुमतियां लिए बिना ही निर्माण या संचालन शुरू हो जाने के बाद विकासात्मक या औद्योगिक परियोजनाओं को दी जाने वाली मंजूरी।
- **कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum - OM):** आंतरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए सरकारी विभागों द्वारा जारी किया गया एक कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश, जिसमें प्रत्यायोजित कानूनों को बदलने की वैधानिक शक्ति नहीं होती है।
- **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle):** पर्यावरण प्रबंधन का एक सिद्धांत जिसके तहत गंभीर पर्यावरणीय क्षरण के जोखिम वाली गतिविधियों को शुरू करने से पहले निवारक नियामक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21:** अदालत ने माना कि अनिश्चित, अनियंत्रित भूतलक्षी स्वीकृतियां तर्कसंगतता और आनुपातिकता के परीक्षण में विफल रहती हैं, जो कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
- **अनुच्छेद 142:** पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री पारित करने की सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति को सुरक्षित रखता है, जिससे विशेष मामलों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (धारा 3):** केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार देता है, जिन्हें औपचारिक वैधानिक अधिसूचनाओं के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए।
- **ईआईए (EIA) अधिसूचना, 2006:** प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में अनिवार्य पूर्व पर्यावरण स्वीकृति व्यवस्था स्थापित करने वाला प्राथमिक प्रत्यायोजित विधान।

निष्कर्ष

यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक वास्तविकता के बीच एक संतुलित तालमेल बिठाता है। वैधानिक, जनहित के अपवादों की गुंजाइश छोड़ते हुए स्थायी कार्यकारी क्षमादान पर रोक लगाकर, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अराजक व्यवधान पैदा किए बिना पर्यावरण कानून के मूल सिद्धांत—पूर्व मूल्यांकन—को पुनः स्थापित किया है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और राजव्यवस्था):** शक्तियों का पृथक्करण, प्रत्यायोजित कार्यकारी विवेक की सीमाएं, प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा, और अनुच्छेद 14, 21 और 142 के तहत संवैधानिक जनादेश।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था):** पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) ढांचा, पर्यावरणीय शासन, सतत विकास बनाम बुनियादी ढांचे का विकास, और एहतियाती सिद्धांत।

2. प्रस्तावित अमेरिकी प्रतिबंध अधिनियम और रूसी ऊर्जा खरीदारों पर शुल्क

मुख्य बिंदु और सारांश

- **अमेरिकी विधायी कार्रवाई:** अमेरिकी सीनेट ने एक क्लॉचर प्रस्ताव (cloture motion) का आह्वान करने के लिए 86-12 से मतदान किया, जिससे दुर्लभ द्विदलीय समर्थन के साथ 'लैंडसे ओ. ग्राहम प्रतिबंध रूस और ईरान अधिनियम 2026' को तेजी से आगे बढ़ाया गया।
- **लक्षित द्वितीयक शुल्क (Targeted Secondary Tariffs):** प्रस्तावित अधिनियम मास्को के ऊर्जा राजस्व को कम करने के लिए रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करने वाले प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर 100% तक शुल्क लगाने का प्रावधान करता है।
- **संशोधित कटौती:** संशोधित विधेयक को उसके मूल 2025 के प्रस्ताव से कम किया गया है, जिसने शुरू में रूसी ऊर्जा खरीदने वाली संस्थाओं पर 500% का भारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था।
- **भारत और चीन के लिए प्रत्यक्ष जोखिम:** ये प्रतिबंध सबसे बड़े ऊर्जा खरीदारों को लक्षित करते हैं, जो सीधे चीन (रूसी कच्चे तेल के निर्यात का 47-50%) और भारत (36-38%) को प्रभावित करते हैं।
- **व्यापक आर्थिक दबाव:** कच्चे तेल की बिक्री से परे, मसौदा कानून रूसी वित्तीय संस्थानों, राजनीतिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध-निवारण नेटवर्क को लक्षित करता है।
- **रणनीतिक आवश्यकताएं:** यह घटनाक्रम वाशिंगटन और मास्को के साथ राजनयिक संबंधों के साथ ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करने में भारत की बहु-संरेखण (multi-alignment) और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का परीक्षण करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **द्वितीयक प्रतिबंध (Secondary Sanctions):** किसी देश द्वारा विदेशी व्यक्तियों या संस्थाओं पर पहले से ही प्राथमिक प्रतिबंधों के तहत लक्षित राष्ट्र के साथ व्यापार में संलग्न होने के लिए लगाए गए नियामक दंड।
- **क्लॉचर मोशन (Cloture Motion):** अमेरिकी सीनेट में एक संसदीय नियम जिसका उपयोग विधेयक पर आगे की चर्चा को सीमित करने और मतदान कराने के लिए किया जाता है, जिससे फ़िलीबस्टर (filibuster) के प्रयासों को प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया जाता है।

- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** किसी राष्ट्र का नीतिगत ढांचा जो उसे बाहरी दबावों के आगे झुके बिना, पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णय लेने की अनुमति देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्यायसंगत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है, जो भारत की संप्रभु राजनयिक स्थिति का आधार है।
- **डब्ल्यूटीओ (WTO) के मानदंड:** एकतरफा द्वितीयक शुल्क विश्व व्यापार संगठन के गैर-भेदभाव और मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) उपचार के नियमों के साथ संघर्ष का जोखिम उठाते हैं।
- **अमेरिकी क्षेत्राधिकार (Extraterritorial Jurisdiction):** यह CAATSA (प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने का अधिनियम) जैसी विधायी मिसालों का अनुसरण करता है, जो घरेलू नियामक प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क तक बढ़ाता है।

निष्कर्ष

इस अमेरिकी कानून का तेजी से आगे बढ़ना पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों और वैश्विक ऊर्जा जरूरतों के बीच बढ़ते प्रणालीगत तनाव को उजागर करता है। भारत के लिए, विदेश नीति की संप्रभुता से समझौता किए बिना आर्थिक स्थिरता की रक्षा के लिए किफायती कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रखने हेतु सावधानीपूर्वक राजनयिक वार्ता और रणनीतिक ऊर्जा विविधीकरण की आवश्यकता है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारतीय विदेश नीति, रणनीतिक स्वायत्तता, अमेरिका और रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध, और विकसित देशों की विदेश नीतियां जो भारत के हितों को प्रभावित करती हैं।
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और ऊर्जा):** ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता, मुद्रास्फीति प्रबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध।

3. बीएस-III (BS-III) वाहनों को E20 ईंधन के लिए मामूली बदलाव की आवश्यकता हो सकती है: केंद्र

मुख्य बिंदु और सारांश

- **संसदीय प्रकटीकरण:** केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि 2005 और 2016 के बीच निर्मित कुछ बीएस-III वाहनों को E20 ईंधन का उपयोग करते समय चुनिंदा रबर घटकों और गास्केट को बदलने की आवश्यकता हो सकती है।
- **इंजन का कोई बड़ा ओवरहाल नहीं:** एक बहु-संस्थागत अध्ययन ने पुष्टि की है कि मौजूदा दोपहिया और चार पहिया वाहनों को E20 पेट्रोल पर चलाने के लिए इंजन में बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
- **सर्विसिंग एकीकरण:** पुराने वाहनों में प्रभावित होने वाले रबर और गास्केट भागों के प्रतिस्थापन को नियमित सर्विसिंग दिनचर्या के दौरान आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है।

- **अनुसंधान कंसोर्टियम:** यह तकनीकी मूल्यांकन आईओसीएल (IOCL), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (IIP) देहरादून, सियाम (SIAM) और एआरआई (ARAI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- **उपभोक्ता चिंताएं:** यह बयान उच्च एथेनॉल मिश्रणों से जुड़े इंजन मिसफायरिंग, कम ईंधन दक्षता और दीर्घकालिक वाहन स्थायित्व के संबंध में बढ़ती सार्वजनिक पूछताछ का समाधान करता है।
- **व्यापक E20 रोलआउट:** सरकार का तर्क है कि E20 को अपनाना व्यापक वाहन प्रदर्शन से समझौता किए बिना भारत के चरणबद्ध जैव-ईंधन रोडमैप के अनुरूप है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **E20 ईंधन (E20 Fuel):** एक मिश्रित ईंधन मिश्रण जिसमें बायोमास से प्राप्त 20% एथेनॉल और 80% पारंपरिक पेट्रोल होता है।
- **भारत स्टेज (BS) मानदंड:** आंतरिक दहन इंजनों से वायु प्रदूषक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा विनियमित राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य उत्सर्जन मानक।
- **एथेनॉल की संक्षारकता (Corrosivity of Ethanol):** पुरानी ईंधन वितरण प्रणालियों में पानी को अवशोषित करने और कुछ इलास्टोमर्स, प्लास्टिक और अलौह धातुओं को नष्ट करने का एथेनॉल का रासायनिक गुण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988:** पूरे भारत में वाहन सुरक्षा मानकों, उत्सर्जन मानदंडों और तकनीकी अनुपालन की स्थापना के लिए वैधानिक रीढ़ प्रदान करता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए ईंधन गुणवत्ता मानकों और जनादेशों को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति:** ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन कम करने) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करती है।

निष्कर्ष

जबकि E20 ईंधन का कार्यान्वयन कच्चे तेल के आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, उपभोक्ता मार्गदर्शन और नियमित रखरखाव के माध्यम से पुराने बीएस-III वाहनों में सामग्री अनुकूलता को संबोधित करना एक सुचारू हरित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बना हुआ है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और सार्वजनिक नीति):** नीति कार्यान्वयन नीतियां, संसदीय निरीक्षण, और राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ उपभोक्ता हितों को संतुलित करना।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था):** एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP), जैव-ईंधन नीति, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत उत्सर्जन में कमी, और ऑटो निर्माण में तकनीकी अनुकूलन।

4. सीएक्यूएम (CAQM) ने राज्यों को पराली जलाने की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात करने का निर्देश दिया

मुख्य बिंदु और सारांश

- **एनसीआर राज्यों को परामर्श:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से फसल अवशेष (पराली) जलाने की प्रभावी निगरानी के लिए ड्रोन निगरानी अपनाने का आग्रह किया।
- **तकनीकी लाभ:** मानवरहित हवाई वाहन (UAVs)/ड्रोन मौजूदा उपग्रह इमेजरी और जमीनी निरीक्षणों के पूरक के रूप में तीव्र तैनाती, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली रीयल-टाइम इमेजिंग और लचीले उड़ान पैटर्न प्रदान करते हैं।
- **साक्ष्य-आधारित प्रवर्तन:** ड्रोन सक्रिय आग के स्थानों, धुएं के गुबार का सटीक पता लगा सकते हैं, प्रभावित खेतों का मानचित्रण कर सकते हैं और त्वरित कानून प्रवर्तन कार्रवाई के लिए समय-स्टैम्पड (समय अंकित) साक्ष्य उत्पन्न कर सकते हैं।
- **हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:** राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे धान की खेती वाले क्षेत्रों में निगरानी को प्राथमिकता दें, जिसमें पहचान किए गए हॉटस्पॉट गांवों और आग की संभावना वाले स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- **बहु-स्तरीय निगरानी:** हवाई ड्रोन तकनीक को एकीकृत करने से मैक्रो-स्तरीय उपग्रह रिमोट सेंसिंग और स्थानीय क्षेत्र-स्तरीय भौतिक सत्यापन के बीच का अंतर समाप्त होता है।
- **मौसमी वायु प्रदूषण शमन:** यह निर्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के स्मॉग और गिरती वायु गुणवत्ता को रोकने के लिए व्यापक क्षेत्रीय उपायों का एक हिस्सा है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पराली जलाना (Stubble Burning):** गेहूं की बुआई के लिए खेतों को जल्दी साफ करने के लिए धान की कटाई के बाद बचे पुआल/फसल अवशेषों में जानबूझकर आग लगाने की प्रथा।
- **मानवरहित हवाई वाहन (UAV):** बोर्ड पर मानव पायलट के बिना संचालित एक विमान, जिसका उपयोग वास्तविक समय (real-time) में हवाई टोही और डेटा संग्रह के लिए किया जाता है।
- **सीएक्यूएम (CAQM):** एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के मुद्दों के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है।

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का जनादेश देता है।
- **सीएक्यूएम (CAQM) अधिनियम, 2021:** आयोग को बाध्यकारी निर्देश जारी करने, परिसरों का निरीक्षण करने और उत्तरी राज्यों में वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्त अनुपालन उपायों को लागू करने का अधिकार देता है।
- **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कृषि अवशेष जलाने की गतिविधियों पर जुर्माना लगाने के लिए वैधानिक शक्तियां प्रदान करता है।

निष्कर्ष

ड्रोन निगरानी को तैनात करना प्रौद्योगिकी-संचालित पर्यावरणीय शासन की ओर एक प्रगतिशील बदलाव का प्रतीक है। सत्यापन योग्य, वास्तविक समय के साक्ष्य उत्पन्न करके, CAQM का लक्ष्य मुख्य कटाई के मौसम के दौरान क्षेत्रीय प्रवर्तन को मजबूत करना, खेतों की आग को कम करना और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता की रक्षा करना है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और राजव्यवस्था):** वैधानिक निकाय (CAQM), अंतर-राज्यीय प्रशासनिक समन्वय, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, और कानून प्रवर्तन में ई-गवर्नेंस तंत्र।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और प्रौद्योगिकी):** वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पर्यावरण निगरानी में यूएवी (UAV) तकनीक के अनुप्रयोग, और टिकाऊ कृषि पद्धतियां।

5. सीडब्ल्यूआरसी (CWRC) प्रमुख ने कावेरी जल के लिए एक स्थायी संकट-साझाकरण (Distress-Sharing) योजना का प्रस्ताव रखा

मुख्य बिंदु और सारांश

- **फॉर्मूले का आह्वान:** कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के अध्यक्ष ने कर्नाटक और तमिलनाडु से एक वैज्ञानिक, स्थायी संकट-साझाकरण तंत्र (distress-sharing mechanism) को संयुक्त रूप से तैयार करने का आग्रह किया।
- **जल छोड़ने का निर्देश:** सीडब्ल्यूआरसी (CWRC) ने वर्षा, जलाशय के प्रवाह और आईएमडी (IMD) के आंकड़ों के आधार पर कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया।
- **अधिक पानी छोड़ने की मात्रा:** बिलिगुंडलू मापन स्थल पर 3,500 क्यूसेक पानी पहुँचाने के लिए, मध्यवर्ती जलग्रहण क्षेत्र के शुष्क होने के कारण कर्नाटक को 6,000 से 6,500 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा।

- **ऊपरी तटवर्ती राज्य द्वारा अपील:** कर्नाटक ने सर्वोच्च कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के समक्ष सीडब्ल्यूआरसी (CWRC) के निर्देश के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया।
- **गंभीर बेसिन घाटा:** यह निर्देश 30 साल के दीर्घकालिक औसत की तुलना में कर्नाटक के जलाशयों में शुद्ध प्रवाह में 60% की कमी के बीच आया है।
- **संस्थागत भूमिका:** सीडब्ल्यूआरसी (CWRC) और सीडब्ल्यूएमए (CWMA) 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDI) 2007 के निर्णय को लागू करने वाले कार्यकारी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **संकट-साझाकरण फॉर्मूला (Distress-Sharing Formula):** कम वर्षा या सूखे के वर्षों के दौरान तटवर्ती राज्यों के बीच नदी के कम पानी के प्रवाह को आनुपातिक रूप से विभाजित करने वाला एक संस्थागत ढांचा।
- **तटवर्ती राज्य (Riparian State):** किसी प्राकृतिक जलमार्ग के तट पर स्थित राज्य, जिसे नदी के प्रवाह की आपेक्षिक दिशा के आधार पर ऊपरी या निचले तटवर्ती राज्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **क्यूसेक (Cusec):** जल प्रवाह की दर को मापने की एक इकाई जो प्रति सेकंड एक घन फुट (28.317 लीटर प्रति सेकंड) के बराबर होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** अंतर-राज्यीय नदियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय नदी विवादों को सुलझाने के लिए सीडब्ल्यूडीटी (CWDI) जैसे न्यायाधिकरणों की स्थापना हेतु अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- **सातवीं अनुसूची का आवंटन:** जल राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17, सूची II), जो अंतर-राज्यीय नदियों के संघ के विनियमन (प्रविष्टि 56, सूची I) के अधीन है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का फैसला:** कावेरी जल को पुनः आवंटित किया और अंतिम निर्णय को लागू करने के लिए सीडब्ल्यूएमए (CWMA) और सीडब्ल्यूआरसी (CWRC) की स्थापना का आदेश दिया।

निष्कर्ष

कम वर्षा वाले वर्षों के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बार-बार होने वाला तनाव सहमति-आधारित, डेटा-संचालित संकट-साझाकरण फॉर्मूले की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। सीडब्ल्यूएमए (CWMA) के तहत इस तरह के ढांचे को संस्थागत रूप देने से लगातार होने वाली मुकदमेबाजी को कम किया जा सकता है और शुष्क दौर के दौरान सहकारी संघवाद को मजबूत किया जा सकता है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** अंतर-राज्यीय नदी विवाद, सहकारी संघवाद, वैधानिक प्राधिकरण (CWMA/CWRC), और अनुच्छेद 262 के तहत संवैधानिक उपचार।

- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और कृषि):** एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन, कृषि जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रभाव, और सूखा जोखिम शमन।

6. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

मुख्य बिंदु और सारांश

- **विधायी पुनः शुरुआत:** मानसून सत्र में फिर से पेश किया गया विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, विदेशी धन प्राप्त करने वाले नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के लिए नियामक तंत्र में व्यापक बदलाव करना चाहता है।
- **संपत्तियों का निहित होना:** धारा 16A(2) यह अनिवार्य करती है कि पंजीकरण के रद्दीकरण या समर्पण पर, सभी विदेशी अंशदान और उनके माध्यम से (आंशिक रूप से भी) बनाई गई परिसंपत्तियां अनंतिम रूप से और बाद में स्थायी रूप से केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण में निहित होंगी।
- **संपत्ति का परिसमापन (Liquidation):** अप्रयुक्त विदेशी धन और जब्त परिसंपत्तियों की बिक्री या नीलामी से प्राप्त आय को सीधे भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- **विस्तारित रद्दीकरण के आधार:** पंजीकरण प्रमाणपत्रों को धारा 14(1)(क) के तहत "जनहित" या कथित जबरन धर्म परिवर्तन अथवा सांप्रदायिक वैमनस्य के लिए केवल मुकदमा शुरू होने जैसे व्यापक आधारों पर रद्द किया जा सकता है।
- **समर्पण दंड:** खंड 16A(1)(ख) के तहत एफसीआरए (FCRA) प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक समर्पण के परिणामस्वरूप पहले से बनाई गई सभी संपत्तियों और अवशिष्ट विदेशी निधियों को राज्य प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर लिया जाता है।
- **व्यापक छूट शक्तियां:** खंड 16L कार्यपालिका को जनहित के आधार पर चुनिंदा संगठनों या व्यक्तियों को एफसीआरए (FCRA) के प्रावधानों से पूर्ण छूट देने की शक्ति प्रदान करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी अंशदान (Foreign Contribution):** किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा किसी भी मुद्रा, प्रतिभूति या वस्तु (एक निर्दिष्ट मूल्य तक के व्यक्तिगत उपहारों को छोड़कर) का दिया गया कोई भी दान, वितरण या हस्तांतरण।
- **सुस्पष्ट अंतर (Intelligible Differentia):** अनुच्छेद 14 के तहत एक कानूनी सिद्धांत जिसके लिए एक स्पष्ट, तर्कसंगत मानक की आवश्यकता होती है जो एक साथ समूहबद्ध किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं को समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है।
- **नामित प्राधिकरण (Designated Authority):** एफसीआरए (FCRA) का गैर-अनुपालन या रद्दीकरण होने पर विदेशी फंडिंग के माध्यम से बनाई गई संपत्तियों की अभिरक्षा, प्रबंधन, परिसमापन या हस्तांतरण का कार्य सौंपने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त निकाय।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वैधानिक उत्पत्ति:** राष्ट्रीय राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए 1976 के आपातकाल के दौरान पहली बार अधिनियमित किया गया, जिसे राजनीतिक हस्तियों, मीडिया, न्यायाधीशों और सरकारी सेवकों को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने से रोकने के लिए एफसीआरए (FCRA) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार):** चयनात्मक छूट देने की खंड 16L की विवेकाधीन कार्यकारी शक्ति में वैधानिक उद्देश्य के साथ एक स्पष्ट तर्कसंगत संबंध का अभाव है, जो मनमानी राज्य कार्रवाई के लिए न्यायिक समीक्षा को आमंत्रित करता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(ग) (संघ बनाने की स्वतंत्रता):** संपत्ति की जब्ती और परिचालन समाप्ति पर कड़े प्रावधान नागरिकों के संघ और गैर-सरकारी संगठन (NGO) बनाने के मौलिक अधिकार पर एक गंभीर प्रतिकूल प्रभाव (chilling effect) डालते हैं।
- **अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता):** धर्म परिवर्तन के संबंध में केवल अभियोजन या पुलिस शिकायतों के आधार पर रद्दीकरण के आसान नियम अल्पसंख्यक धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, नागरिक समाज पर केवल नियामक निगरानी के बजाय कठोर राज्य नियंत्रण की ओर बदलाव को दर्शाता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकना वैध राज्य उद्देश्य हैं, स्वैच्छिक समर्पण को दंडित करने और व्यापक कार्यकारी छूट देने वाले प्रावधान वैध मानवीय, शैक्षिक और पर्यावरणीय कार्यों को बाधित करने का जोखिम उठाते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता और नागरिक समाज की स्वायत्तता के बीच एक संतुलित संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14, 19, 25), वैधानिक निकाय, विकास में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), सूक्ष्म वित्त और नागरिक समाज की भूमिका, कार्यकारी मनमानी और न्यायिक समीक्षा।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा खतरे, धन शोधन (Money Laundering), और विदेशी धन के आगमन का नियमन।

7. आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 193 और गिग वर्कर्स पर भारत का रुख

मुख्य बिंदु और सारांश

- **आईएलओ कन्वेंशन सं. 193:** जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अपनाया गया, कन्वेंशन 193 "प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में सम्मानजनक कार्य" (Decent Work in the Platform Economy) प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए मुख्य अधिकार प्रदान करने वाली पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- **मतदान और अनुपस्थिति:** यह असमान रूप से पारित हुआ (पक्ष में 406, विरोध में 8, 36 अनुपस्थित)। भारत के सरकारी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया (अनुपस्थित रहे), जबकि इसके नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों ने इसके पक्ष में मतदान किया।

- **मूल अधिकारों का आधार:** वास्तविक कार्य प्रदर्शन के आधार पर वैधानिक न्यूनतम वेतन, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और निष्पक्ष रोजगार वर्गीकरण को अनिवार्य करता है।
- **एल्गोरिदमिक पारदर्शिता:** प्लेटफॉर्मों को कार्य आवंटन और निष्क्रियता (deactivation) जैसे स्वचालित निर्णयों के लिए प्रकटीकरण, स्पष्टीकरण और मानवीय निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता के द्वारा अपारदर्शी एल्गोरिदमिक प्रबंधन को संबोधित करता है।
- **कार्यबल में विस्फोटक वृद्धि:** नीति आयोग का अनुमान है कि भारत का गिग कार्यबल 2020-21 के 77 लाख से बढ़कर 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाएगा, जो गैर-कृषि श्रम बल का लगभग 6.7% होगा।
- **कार्यान्वयन का अंतर:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 द्वारा सक्षम प्रावधान बनाने के बावजूद, केंद्रीय कल्याण योजनाएं काफी हद तक अप्रवर्तित बनी हुई हैं, जिससे विधायी गति राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों की ओर स्थानांतरित हो रही है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **प्लेटफॉर्म/गिग वर्कर (Platform/Gig Worker):** मानक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म या गैर-पारंपरिक कार्य व्यवस्था के माध्यम से काम करने वाले या आजीविका कमाने वाले व्यक्ति।
- **एल्गोरिदमिक प्रबंधन (Algorithmic Management):** स्वचालित सॉफ्टवेयर सिस्टम जो प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्रदर्शन की निगरानी करते हैं, कार्य सौंपते हैं, भुगतान की गणना करते हैं और खातों को निष्क्रिय करते हैं।
- **त्रिस्तरीय प्रणाली (Tripartite System):** आईएलओ (ILO) का संरचनात्मक ढांचा जहां सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि वैश्विक श्रम नीति पर स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श करते हैं और मतदान करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** केंद्रीय श्रम सुधारों के तहत अधिनियमित, यह आधिकारिक तौर पर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करता है और प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को समर्पित कल्याण कोष में वार्षिक टर्नओवर का 1-2% योगदान करने का आदेश देता है।
- **सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची):** श्रम प्रविष्टि 22 (ट्रेड यूनियन; औद्योगिक और श्रम विवाद) और प्रविष्टि 24 (श्रम का कल्याण) के अंतर्गत आता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को विधायी अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 39(क) और 43 (नीति निर्देशक तत्व):** सभी श्रमिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन, एक जीवन निर्वाह मजदूरी, काम की मानवीय परिस्थितियाँ और अवकाश का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार):** संवैधानिक न्यायशास्त्र के तहत आजीविका के अधिकार, उचित पारिश्रमिक और सुरक्षित कार्य वातावरण की गारंटी के लिए न्यायिक रूप से विस्तारित।

निष्कर्ष

आईएलओ (ILO) कन्वेंशन 193 से भारत की दूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने और श्रम मानकों को लागू करने के बीच एक सतत नीतिगत तनाव को उजागर करती है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसे घरेलू विधायी प्रयास कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन व्यावहारिक लाभों को क्रियान्वित करना, स्वचालित प्लेटफॉर्म शासन को विनियमित करना और मनमाने खाता निष्क्रियकरण पर अंकुश लगाना महत्वपूर्ण है। घरेलू प्रवर्तन अंतराल को पाटने से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक विस्तार से कार्यस्थल की बुनियादी गरिमा से समझौता न हो।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** श्रम और रोजगार से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (ILO); संघवाद (समवर्ती सूची के मुद्दे)।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार, विकास और समावेशी विकास से संबंधित मुद्दे; श्रम बाजारों पर डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वचालन का प्रभाव।

8. चीन की ओपन-वेट एआई (Open-Weight AI) रणनीति: भू-राजनीति और कंप्यूट बाधाएं

मुख्य बिंदु और सारांश

- **वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाम बंद एपीआई (Closed APIs):** शंघाई में नौवें विश्व एआई सम्मेलन में, चीन ने अपने एआई मॉडल को ओपन-वेट वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में पेश किया, जो अमेरिका के स्वामित्व वाले, ओपनएआई (OpenAI) और एंथ्रोपिक (Anthropic) जैसे क्लोउड-सोर्स एपीआई मॉडल के विपरीत है।
- **डेटा संप्रभुता और पहुंच:** ओपन-वेट मॉडल विकासशील देशों को अचानक सेवा रद्द होने या निरंतर सदस्यता शुल्क के जोखिम के बिना सख्त डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए अपने स्वयं के सर्वर पर स्थानीय रूप से उन्नत एआई चलाने की अनुमति देते हैं।
- **कंप्यूट बाधाएं जो खुलेपन को बढ़ावा दे रही हैं:** उच्च-स्तरीय चिप्स (जैसे, एनवीडिया H100/H200) और ईयूवी (EUV) लिथोग्राफी उपकरणों पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण चीन की क्लाउड इंफरेंस सेवाओं को स्केल करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित करते हैं, भले ही उसने मॉडल प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त चिप्स जमा कर लिए हों।
- **इंफरेंस लागतों की आउटसोर्सिंग:** प्रशिक्षण के लिए एक निश्चित चिप बेड़े (उदाहरण के लिए, ~2,000 H800s पर प्रशिक्षित डीपसीक V3) की आवश्यकता होती है, लेकिन वैश्विक उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए निरंतर जीपीयू (GPU) विस्तार की आवश्यकता होती है; ओपन-वेट मॉडल जारी करने से इंफरेंस कंप्यूट लागत रणनीतिक रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं पर स्थानांतरित हो जाती है।



- **पश्चिमी देशों में बढ़ता उपयोग:** लागत प्रभावी चीनी मॉडलों ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है, जो यूएस फर्मों के बीच ओपनराउटर (OpenRouter) जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई प्रश्न रूटिंग के 60% तक के लिए जिम्मेदार हैं।
- **भविष्य का सुरक्षाकरण:** बीजिंग अपने शीर्ष-स्तरीय अग्रणी मॉडलों तक विदेशी पहुंच पर प्रतिबंधों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान खुलापन एक स्थायी नीति के बजाय एक रणनीतिक समझौता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ओपन-वेट एआई मॉडल (Open-Weight AI Model):** एक एआई मॉडल जिसके प्रशिक्षित पैरामीटर वेट सार्वजनिक रूप से डाउनलोड करने योग्य होते हैं, जो डेवलपर्स को स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने, सूक्ष्म समायोजन (fine-tune) करने और स्वयं होस्ट करने की अनुमति देते हैं।
- **एपीआई (Application Programming Interface):** एक सॉफ्टवेयर मध्यस्थ जो उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ विक्रेता सर्वर पर होस्ट किए गए मॉडल से प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, जिससे मॉडल वेट और अंतर्निहित कोड स्वामित्व के अधीन रहते हैं।
- **प्रशिक्षण बनाम इंफरेंस (Training vs. Inference):** प्रशिक्षण एक एआई मॉडल बनाने की कम्प्यूटेशनल रूप से गहन, एकमुश्त प्रक्रिया है; इंफरेंस उपयोगकर्ता प्रश्नों के लिए आउटपुट का निरंतर, वास्तविक समय (real-time) निर्माण है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्यायसंगत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है, जो एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक शासन ढांचे के साथ संरेखित है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** सीमा पार डेटा प्रवाह को विनियमित करता है और डेटा न्यूनीकरण को अनिवार्य बनाता है; ओपन-वेट मॉडल स्थानीय बुनियादी ढांचे पर डेटा को प्रोसेस करके घरेलू डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं के साथ संरेखित होते हैं।
- **वासेनार व्यवस्था और निर्यात नियंत्रण:** दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय शासन, जिसके तहत विदेशी राष्ट्रों के खिलाफ बहुपक्षीय चिप और लिथोग्राफी निर्यात प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।
- **आईटी अधिनियम, 2000 और मध्यवर्ती दिशानिर्देश:** भारत के भीतर संचालित तैनात एआई सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए देयता मानक, एल्गोरिदमिक जवाबदेही और सुरक्षा अनुपालन स्थापित करता है।

निष्कर्ष

चीन द्वारा ओपन-वेट एआई को बढ़ावा देना भू-राजनीतिक कूटनीति और तकनीकी आवश्यकता के व्यावहारिक संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। खुले मॉडलों का लाभ उठाकर, बीजिंग अमेरिकी सेमीकंडक्टर निर्यात नियंत्रणों को दरकिनार करते हुए वैश्विक सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करता है जो उसकी इंफरेंस क्षमता को सीमित करते हैं। भारत सहित विकासशील देशों के लिए, यह गतिशीलता उन्नत एआई क्षमताओं और डेटा संप्रभुता तक तत्काल पहुंच प्रदान

करती है, जबकि दीर्घकालिक तकनीकी निर्भरता से बचने के लिए स्वदेशी हार्डवेयर कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; अंतर्राष्ट्रीय एआई शासन।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना; साइबर सुरक्षा, डेटा स्थानीयकरण, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

9. आईएसीएस (IACS) और आधुनिक भारतीय विज्ञान का निर्माण

मुख्य बिंदु और सारांश

- **सार्धशतक (150 वर्ष) की विरासत:** 29 जुलाई, 1876 को स्थापित, 'इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस' (IACS) ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत के पहले स्वदेशी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
- **बंगाल पुनर्जागरण और विज्ञान:** डॉ. महेन्द्रलाल सरकार द्वारा स्थापित, आईएसीएस (IACS) बौद्धिक आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने और देशी वैज्ञानिक शिक्षा की औपनिवेशिक उपेक्षा का मुकाबला करने के लिए बंगाल पुनर्जागरण के दौरान उभरकर सामने आया।
- **युगांतकारी अनुसंधान का केंद्र:** इस प्रमुख शोध केंद्र में सर सी.वी. रमन ने 'रमन प्रभाव' की खोज की थी (28 फरवरी, 1928 को घोषित), जिसके लिए उन्हें भौतिकी में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार (1930) मिला।
- **स्वदेशी संस्थागत मॉडल:** गैर-सरकारी, समुदाय-समर्थित अनुसंधान अवसंरचना का सूत्रपात किया, जिसने देशी विद्वानों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने में सक्षम बनाया।
- **वर्तमान स्थिति:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीधे वित्त पोषित, डी-नोवो (De-Novo) श्रेणी के तहत एक मानद विश्वविद्यालय (Deemed-to-be University)।
- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत:** स्वतंत्रता-पूर्व भारत में संस्थागत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मूलभूत ढांचा स्थापित किया, जिसने सीएसआईआर (CSIR) और आईआईएससी (IISc) जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को प्रेरित किया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **रमन प्रभाव (Raman Effect):** जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है, तो अणुओं द्वारा फोटॉन का अद्यास्थ प्रकीर्णन (inelastic scattering) होता है, जिससे आवृत्ति में परिवर्तन आता है जो आणविक संरचना को उजागर करता है।

- **बंगाल पुनर्जागरण (Bengal Renaissance):** 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल में एक बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जागरण, जिसने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद और वैज्ञानिक जांच की नींव रखी।
- **वैज्ञानिक आत्म-निर्भरता:** किसी राष्ट्र की बिना विदेशी निर्भरता के स्वतंत्र रूप से उन्नत अनुसंधान करने, प्रौद्योगिकियों में नवाचार करने और टिकाऊ संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करने की क्षमता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में अनिवार्य बनाता है।
- **प्रविष्टि 64 (संघ सूची, 7वीं अनुसूची):** भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित तथा संसद द्वारा कानून बनाकर राष्ट्रीय महत्व के घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थानों को केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में रखती है।
- **राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP):** स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D), संस्थागत वित्तपोषण और सार्वजनिक-निजी अनुसंधान भागीदारी को निर्देशित करने वाला समग्र कार्यकारी नीति ढांचा।
- **यूजीसी अधिनियम, 1956 (धारा 3):** यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार को आईएसीएस (IACS) जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को "मानद विश्वविद्यालय" (Deemed-to-be University) घोषित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

आईएसीएस (IACS) की 150 वर्षों की यात्रा वैज्ञानिक औपनिवेशिक काल से आत्म-निर्भर वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत के ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। डॉ. महेन्द्रलाल सरकार के दृष्टिकोण ने यह साबित कर दिया कि स्वदेशी संस्थान 'रमन प्रभाव' जैसे विश्व स्तरीय नवाचारों को जन्म दे सकते हैं। जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत@2047' की ओर बढ़ रहा है, स्वायत्त अनुसंधान निकायों को मजबूत करना, बुनियादी विज्ञान को पोषित करना और अनुच्छेद 51A(h) को पूरा करना एक ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर I:** आधुनिक भारतीय इतिहास (बंगाल पुनर्जागरण, 19वीं सदी के सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, महेन्द्रलाल सरकार और सी.वी. रमन जैसी प्रमुख हस्तियों का योगदान)।
- **जीएस पेपर II:** उच्च शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; डीएसटी (DST) के तहत वैधानिक और स्वायत्त निकाय।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—विकास और उनके अनुप्रयोग; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां।

10. एफआईआर (FIR) वापसी पर केंद्र का आश्वासन वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं कर सकता

मुख्य बिंदु और सारांश

- **वैधानिक सर्वोच्चता:** कानूनी विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कार्यकारी आश्वासन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) वापस लेने की आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार या रद्द नहीं कर सकते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश:** भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी, जबकि केवल बिना आपराधिक इतिहास वाले छात्रों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।
- **मामला बंद करने के प्रक्रियात्मक मार्ग:** एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद, इसे मनमाने ढंग से रद्द या निरस्त नहीं किया जा सकता है; इसे केवल जांच अधिकारी की क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से या लोक अभियोजक (Public Prosecutor) द्वारा दायर औपचारिक वापसी आवेदन के माध्यम से ही बंद किया जा सकता है।
- **शक्तियों का संघीय विभाजन:** कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। दिल्ली पुलिस को छोड़कर, पुलिस बल संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं, जो राज्य की एफआईआर के लिए एकतरफा क्षमादान देने की केंद्र सरकार की अथॉरिटी को सीमित करता है।
- **न्यायिक निगरानी का जनादेश:** क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकृति और अभियोजन पक्ष की वापसी की मंजूरी दोनों ही पूरी तरह से न्यायिक जांच के अधीन हैं, जिसके लिए अंतिम आदेश पारित होने से पहले पीड़ित/शिकायतकर्ता की सुनवाई अनिवार्य है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR):** किसी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज, जो औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू करता है।
- **क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report):** आरोपी के खिलाफ पर्याप्त या कोई सबूत न मिलने पर सीआरपीसी (CrPC)/बीएनएसएस (BNSS) की धारा 173 के तहत जांच एजेंसी द्वारा मजिस्ट्रेट को सौंपी गई एक अंतिम रिपोर्ट।
- **लोक अभियोजक (Public Prosecutor):** आपराधिक कार्यवाही में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त अदालत का एक अधिकारी, जो अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन करने हेतु अधिकृत होता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **धारा 321 CrPC / धारा 360 BNSS:** अभियोजन से वापसी को नियंत्रित करती है, जिसके तहत निर्णय सुनाए जाने से पहले लोक अभियोजक को सक्षम न्यायालय से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची - प्रविष्टि 2):** राज्य सरकारों को "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" पर अनन्य विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जिससे केंद्र के अतिरिक्त कार्यकारी हस्तक्षेप पर रोक लगती है।

- **अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार):** कानून की उचित प्रक्रिया की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि एक दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने से पहले पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को सुनवाई का अवसर मिले।

निष्कर्ष

एफआईआर वापसी के संबंध में कार्यकारी आश्वासनों पर कानूनी विवाद राजनीतिक प्रतिबद्धताओं पर वैधानिक प्रक्रियात्मक कानून की सर्वोच्चता को रेखांकित करता है। आपराधिक प्रक्रिया की मांग है कि एक बार एफआईआर के माध्यम से न्यायिक तंत्र लागू हो जाने के बाद, आरोपों को हटाने के लिए कठोर न्यायिक मूल्यांकन और पुलिस शक्तियों के संघीय विभाजन का सम्मान करना आवश्यक है। प्रक्रियात्मक अखंडता की रक्षा करना यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में अनियंत्रित कार्यकारी हस्तक्षेप को रोकते हुए वास्तविक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा मिले।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—संघीय ढांचा, शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका, वैधानिक निकाय, और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार।
- **जीएस PAPER III:** आंतरिक सुरक्षा—लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, और कानून का शासन।

11. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026

मुख्य बिंदु और सारांश

- **कड़े दंड:** यह विधेयक पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सजा को काफी बढ़ाता है, जिसमें व्यक्तिगत अपराधियों के लिए कारावास को बढ़ाकर 5-10 वर्ष (₹50 लाख तक जुर्माना) और संगठित अपराध की सजा को न्यूनतम ₹10 करोड़ के जुर्माने के साथ 7-10 वर्ष कर दिया गया है।
- **सेवा प्रदाता पर प्रतिबंध (Debarment):** नकल या गड़बड़ी में शामिल सेवा प्रदाताओं (Service Providers) के लिए प्रतिबंध की अवधि को 4 से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है, जबकि जुर्माना ₹5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है।
- **विशेषज्ञ जांच:** केंद्र सरकार को एक विशेष कार्य बल (STF) गठित करने का अधिकार देता है और जांच पूरी करने के लिए 2 महीने की सख्त समय-सीमा अनिवार्य करता है।
- **विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट:** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दैनिक सुनवाई करने और आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के भीतर कार्यवाही समाप्त करने के लिए सत्र न्यायालयों (Sessions Courts) को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित करने की आवश्यकता होती है।
- **अपील और परिसीमा पर रोक:** उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को अपीलों का निपटारा 3 महीने के भीतर करने का निर्देश देता है, तथा अपील दायर करने के लिए 90 दिनों की अंतिम परिसीमा (limitation bar) तय करता है।



- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:** अनिवार्य सुनवाई समय-सीमा को संभावित न्यायिक टकराव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आपराधिक कार्यवाही पर कठोर समय-सीमा तय करने के प्रति सचेत करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अनुचित साधन (Unfair Means):** सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान अनधिकृत सहायता, पेपर लीक, छद्मवेश (दूसरों के स्थान पर परीक्षा देना), कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़, या परीक्षा दस्तावेजों से छेड़छाड़।
- **संगठित अपराध (परीक्षा धोखाधड़ी):** व्यवस्थित पेपर लीक या व्यावसायिक धोखाधड़ी करने के लिए किसी गिरोह, परीक्षा सेवा प्रदाताओं की सांठगांठ या कोचिंग नेटवर्क द्वारा की गई गैर-कानूनी गतिविधियां।
- **विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट:** त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए दैनिक आधार पर विशिष्ट वैधानिक अपराधों पर सुनवाई के लिए नामित सत्र न्यायालय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 (त्वरित सुनवाई का अधिकार):** त्वरित सुनवाई तंत्र अनुच्छेद 21 की गारंटियों के अनुरूप है, हालांकि न्यायिक विवेक के बिना कठोर बाहरी सीमाएं कानून की उचित प्रक्रिया के मानदंडों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाती हैं।
- **अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता):** यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), एनटीए (NTA), और आईबीपीएस (IBPS) जैसे प्रमुख केंद्रीय परीक्षा निकायों में समान मानकों और संस्थागत अखंडता को सुनिश्चित करता है।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:** बीएनएस (BNS) के तहत जुड़े अपराधों के लिए संयुक्त सुनवाई सहित आपराधिक प्रक्रिया संहिताओं के साथ जांच और सुनवाई की समय-सीमा को जोड़ता है।
- **सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची - प्रविष्टि 25):** शिक्षा को शामिल करती है, जो संसद को देश भर में योग्यता और मानकीकृत मूल्यांकन ढांचे को सुरक्षित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य व्यापक पेपर लीक विवादों के बाद केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में जनता का विश्वास बहाल करना है। हालांकि भारी वित्तीय और दंडात्मक सजा के माध्यम से निवारण आवश्यक है, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों से समझौता किए बिना समयबद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए ढांचागत देरी—जैसे फास्ट-ट्रैक अदालतों में न्यायिक लंबितता और पुलिस जांच के बैकलॉग—को संबोधित करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** वैधानिक निकाय (UPSC, NTA, SSC); सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे; न्यायपालिका और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार।
- **जीएस पेपर IV:** शासन नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा मूल्य, और सार्वजनिक भर्ती के संचालन में पारदर्शिता।

12. E20 ईंधन विवाद के बीच समानांतर E10 और शुद्ध पेट्रोल आपूर्ति की मांग

मुख्य बिंदु और सारांश

- **E10 और शुद्ध पेट्रोल का समर्थन:** नागरिक वकालत समूह 'टीम भारत' ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और सरकार से किफायती दरों पर शुद्ध, बिना मिश्रित पेट्रोल के साथ-साथ E10 पेट्रोल (10% एथेनॉल मिश्रण) की आपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया।
- **वाहन अनुकूलता की चिंताएं:** यह प्रतिनिधित्व public concern से उत्पन्न हुआ है जो E20 (20% एथेनॉल मिश्रण) का उपयोग करने पर E10 या बिना मिश्रित पेट्रोल के लिए डिज़ाइन किए गए पुराने वाहनों में संभावित इंजन घिसाव, घटकों के क्षरण और कम ईंधन दक्षता को लेकर है।
- **मूल्य समता और छूट की मांग:** समर्थकों ने अनुरोध किया कि E20 ईंधन की कम ऊर्जा घनत्व को ध्यान में रखते हुए और स्वैच्छिक अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए शुद्ध पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में E20 ईंधन को 20% छूट पर पेश किया जाए।
- **सार्वजनिक पारदर्शिता और निवारण:** समूह ने E20 ईंधन के संबंध में सभी तकनीकी मूल्यांकनों को सार्वजनिक करने की मांग की, साथ ही मिश्रित ईंधन के कारण वाहन को नुकसान का आकलन करने और उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने के लिए एक औपचारिक तंत्र की मांग की।
- **पूर्ण वापसी की मांग नहीं:** स्पष्ट किया गया कि समूह E20 सम्मिश्रण कार्यक्रम को पूरी तरह वापस लेने की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि उपभोक्ता विकल्प और वाहन सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले संतुलित दृष्टिकोण की मांग कर रहा है।
- **संयुक्त निरीक्षण ढांचा:** मंत्रालय के अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा का उद्देश्य क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए एक निरीक्षण तंत्र स्थापित करना और बीच का रास्ता तलाशना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **एथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending):** कच्चे तेल के आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कृषि स्रोतों (जैसे गन्ना, मक्का, या टूटे हुए चावल) से प्राप्त निर्जल एथिल अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाने का अभ्यास।
- **E20 ईंधन (E20 Fuel):** आयतन के हिसाब से 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल से बना एक मिश्रण, जिसके क्षरण को रोकने के लिए संशोधित इंजन घटकों और ईंधन लाइनों की आवश्यकता होती है।
- **ऊर्जा घनत्व (Energy Density):** प्रति इकाई आयतन में किसी दिए गए निकाय या स्थान के क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा की मात्रा; एथेनॉल में शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग दो-तिहाई ऊर्जा घनत्व होता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018):** 2025-26 तक पूरे भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के राष्ट्रीय जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए 2022 में संशोधित लक्ष्य।

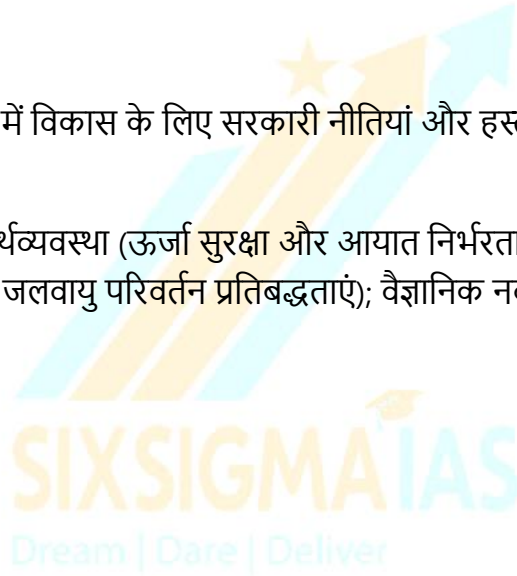
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित होने के उपभोक्ता अधिकारों की गारंटी देता है।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988:** केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के तहत वाहन मानकों, उत्सर्जन नियमों और सुरक्षा अनुपालनों को विनियमित करता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 21:** संवैधानिक गारंटियों के तहत व्यावसायिक लेन-देन में उपभोक्ता विकल्प, पर्यावरणीय अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा को शामिल करता है।

निष्कर्ष

E20 ईंधन के इर्द-गिर्द जारी बहस उपभोक्ता संरक्षण और पुराने वाहनों की अनुकूलता के साथ महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को संतुलित करने की चुनौती को उजागर करती है। जबकि एथेनॉल सम्मिश्रण भारत के जीवाश्म ईंधन आयात बिल को कम करता है और शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को घटाता है, पारदर्शी परीक्षण मानकों को बनाए रखना, समानांतर ईंधन विकल्प प्रदान करना और वाहन क्षति की भरपाई करना जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक चरणबद्ध, उपभोक्ता-केंद्रित रोलआउट यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण नीतियां टिकाऊ, दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करें।

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; उपभोक्ता संरक्षण और सार्वजनिक शासन।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता); पर्यावरण और पारिस्थितिकी (जैव ईंधन, उत्सर्जन में कमी, और जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएं); वैज्ञानिक नवाचार (इंजन प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक ईंधन)।



JULY 30, 2026

